छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 115/2006</u>

श्री कृष्ण कुमार तोमर, ... अपीलार्थी
खनिज नगर, व्ही.आई.पी.रोड,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन विभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह
भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(03 अगस्त 2006)

श्री कृष्ण कुमार तोमर आवेदक के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वन मंत्रालय को प्रस्तुत अपील दिनांक 7–1–2006 पर कोई निर्णय न होने के फलस्वरूप आयोग को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कृष्ण कुमार तोमर (अपीलार्थी) ने जन सूचना अधिकारी, वन विभाग, मंत्रालय से आवेदन पत्र दिनांक 14–8–2005 के द्वारा वर्ष 2003 के साल बीज संग्रहण से छत्तीसगढ़ लघु उपज संघ को संभावित हानि की क्षतिपूर्ति हेतु मंत्रि–परिषद् में प्रस्तुत की जाने वाली संक्षेपिका तथा संक्षेपिका पर मंत्रि–परिषद् के निर्णय की प्रति, छत्तीसगढ़ राज्य लघु उपज संघ द्वारा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने हेतु 5.00 करोड़ देने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 1–3–2003 तथा मंत्रि–परिषद् के निर्णय दिनांक 4–3–2003 की प्रति चाही थी। दिनांक 28–11–2005 को आवेदक ने एक स्मरण–पत्र भी दिया, जिसकी की प्राप्ति की छायाप्रति भी प्रस्तुत की। जन सूचना अधिकारी, वन विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जानकारी न दिये जाने के फलस्वरूप आवेदक ने राज्य सूचना आयोग को अपील की। राज्य सूचना आयोग के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तद्नुसार उसके द्वारा अपीलीय अधिकारी को अपील दिनांक 7–1–2006 को प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में निर्धारित अवधि में आदेश पारित नहीं किया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि मंत्रि–परिषद् में प्रस्तुत किये जाने वाली संक्षेपिका तथा मंत्रि–परिषद् के

निर्णय की नकल गोपनीय प्रकृति की है, अतः उसकी प्रति नहीं दी जा सकती। जहां तक भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने को दिये गये 5.00 करोड़ के ऋण का संबंध है यह तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा नोटशीट पर दिये गये थे तथा नोटशीट सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देय नहीं है। इसलिए आवेदक को जानकारी नहीं दी गई।

मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं शासन की ओर से उपस्थित जन सूचना अधिकारी के तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 12–12–2005 के द्वारा शासन के पत्र दिनांक 3–3–2003 की प्रति दी गई, जिसके अनुसार भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित को 5.00 करोड़ की राशि एक माह की अवधि के लिए ऋण के रूप में दिये जाने के लिए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को आदेश दिये गये। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(प) के अंतर्गत मंत्रि–परिषद् में प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रावलि को सूचना का अधिकार अधिनियम से मुक्त किया गया है। किन्तु इसी धारा के परन्तुक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मंत्रि–परिषद् के निर्णय के पश्चात् किन कारणों एवं आधारों पर निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी जन सामान्य को प्राप्त करने का अधिकार है। अतः अपीलार्थी को मंत्रि–परिषद् के निर्णय का कारण एवं आधार की जानकारी नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जावे। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना को 5.00 करोड़ की राशि एक माह के लिए ऋण के रूप में दिये जाने के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा नोटशीट पर दिये गये आदेश के आधार पर जारी आदेश की प्रति आवेदक को दी गई है। अपीलार्थी ने इस संबंध में मंत्रि–परिषद् के निर्णय की नकल चाही थी। जन सूचना अधिकारी, वन विभाग के द्वारा जवाब में यह बतलाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के आदेश नोटशीट पर दर्ज है। नोटशीट धारा–8 के अंतर्गत विमुक्ति की श्रेणी में नहीं है, अतः उक्त नोटशीट की प्रति अपीलार्थी को 15 दिन के अंदर निःशुल्क प्रदान की जावे। यह उल्लेखनीय है कि आवेदक के द्वारा आवेदन शुल्क 19–12–2005 को जमा किया गया। यदि अपीलार्थी को धारा–8 के अंतर्गत अभिलेख नहीं दिये जा सकते थे तो अपीलार्थी को तदानुसार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सूचित करना था। जन सूचना अधिकारी, वन विभाग, मंत्रालय के द्वारा ऐसी सूचना न दिये जाने पर अनावश्यक रूप से आवेदक को आर्थिक व्यय करना पड़ा तथा मानसिक यातना भी झेलनी पड़ी। इस विभागीय त्रुटि के लिए वन विभाग, मंत्रालय के द्वारा अपीलार्थी को 250/– रूपए की क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही पूर्व में उल्लेखित मंत्रि–परिषद् के निर्णय, उसके कारण एवं आधार एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा नोटशीट में अंकित किये गये आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अपील उक्त निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त